

पूर्वोत्तर रेलवे

अधिसूचना सं० सी/99/एस०टी०बी०ए०/इज्जतनगर/2023-24/14

(यह आवेदन पत्र नौकरी के लिये नहीं है।)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर द्वारा मण्डल के अर्न्तगत 7 (NSG-4) रेलवे स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकृत अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली (यू०टी०एस०) द्वारा अनारक्षित रेल टिकटों की बिक्री हेतु कमीशन के आधार पर निम्नलिखित स्टेशनों पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस०टी०बी०ए०) की एक वर्ष की अवधि हेतु चयन करने के लिये पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस०टी०बी०ए०) हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाने वाले स्टेशन का नाम	एस.टी.बी.ए. कार्य की अवधि	आवेदन पत्र मूल्य जीएसटी सहित (रूपये में)	बयाना राशि मूल्य (रूपये में)	स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट(एस०टी०बी०ए०) के कार्य की शिफ्ट डियूटी
पीलीभीत काउन्टर संख्या 01	एक वर्ष	Rs 1,180/-	Rs 10,000/-	24 Hr
पीलीभीत काउन्टर संख्या 02	एक वर्ष	Rs 1,180/-	Rs 10,000/-	24 Hr
लालकुआँ काउन्टर संख्या 01	एक वर्ष	Rs 1,180/-	Rs 10,000/-	24 Hr
बरेली सिटी द्वितीय प्रवेश द्वार काउन्टर	एक वर्ष	Rs 1,180/-	Rs 10,000/-	24 Hr
काशीपुर काउन्टर संख्या 01	एक वर्ष	Rs 1,180/-	Rs 10,000/-	24 Hr
काशीपुर काउन्टर संख्या 02	एक वर्ष	Rs 1,180/-	Rs 10,000/-	24 Hr
रुद्रपुर सिटी काउन्टर संख्या 01	एक वर्ष	Rs 1,180/-	Rs 10,000/-	24 Hr
कन्नौज काउन्टर संख्या 01	एक वर्ष	Rs 1,180/-	Rs 10,000/-	24 Hr
कन्नौज काउन्टर संख्या 02	एक वर्ष	Rs 1,180/-	Rs 10,000/-	24 Hr
कासगंज काउन्टर संख्या 02	एक वर्ष	Rs 1,180/-	Rs 10,000/-	24 Hr
आवेदन प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त करने की अन्तिम तिथि एवं समय	मंडल रेल प्रबन्धक/वाणिज्य/इज्जतनगर कार्यालय से कार्य दिवस में प्रकाशन तिथि से दिनांक 05.02.2025 तक समय 16.00 बजे तक			
आवेदन प्रपत्र आवेदन बाक्स में डालने की तिथि एवं समय	दिनांक 05.02.2025 से दिनांक 06.02.2025 तक समय 15.00 बजे तक ।			
आवेदन खुलने की तिथि एवं समय	दिनांक 06.02.2025 को 15.30 बजे ।			
आवेदन डालने एवं खोले जाने की तिथि को किसी कारणवश यदि कार्यालय बन्द रहता है तो आवेदन उसके अगले कार्य दिवस में डाली/खोली जायेगी। आवेदन पत्र, अधिसूचना की पात्रता, नियम एवं शर्तों का पूर्ण विवरण पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है, एवं डाउनलोड किया जा सकता है या मंडल रेल प्रबन्धक/वाणिज्य, पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर कार्यालय से कार्य दिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र के मूल्य रूपये Rs 1,180/- (One Thousand one hundred Eighty Rupees) एवं बयाना राशि मूल्य उपरोक्त तालिका के अनुसार के डिमाण्ड ड्राफ्ट जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे के पक्ष में जारी हो एवं बरेली में देय हो आवेदको को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे। एक स्टेशन के एक काउन्टर पर केवल एक आवेदक को लगाया जायेगा अन्य किसी दूसरे स्टेशन या काउन्टर पर नहीं। प्रत्येक स्टेशन के प्रत्येक काउन्टर पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट के लिये अलग-अलग आवेदन प्रपत्र देना होगा। बिना आवेदन प्रपत्र शुल्क एवं बिना बयाना राशि मूल्य के आवेदन पत्र को वैध नहीं मानते हुए विचार नहीं किया जायेगा। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों को न तो स्वीकार किया जायेगा न ही विचार किया जायेगा। किसी भी आवेदन या समस्त स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस०टी०बी०ए०) की नियुक्ति की प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये रद्द एवं अस्वीकार करने का अधिकार रेल प्रशासन के पास सुरक्षित होगा। यह आवेदन रेलवे में नौकरी के लिये नहीं है ।				
मंडल वाणिज्य प्रबन्धक इज्जतनगर				

N.E.Railway
NOTIFICATION

Notification No :- C/99 /STBA / IZZATNAGAR /2023-24/14

(This application is not valid for service in railway.)

Sr. Divisional Commercial Manager, N.E. Railway Izzatnagar Bareilly On behalf of president of India invites application for the Allotment of Station Ticket Booking Agent (STBA) on 07 NSG-4 stations of over Izzatnagar Division to issue computerized unreserved tickets through UTS (Unreserved Ticketing System).

Interested persons fulfilling the stipulated conditions may apply in the prescribed format.

Name of Stations (STBA) for which Applications are invited.	Period of STBA work	Applications form cost (In Rs.).	Earnest money cost (In Rs.)	Working hours in shift duty of STBA
PILIBHIT COUNTER No. 01	One Years	Rs 1,180/-	Rs 10,000/-	24 Hr
PILIBHIT COUNTER No. 02	One Years	Rs 1,180/-	Rs 10,000/-	24 Hr
LALKUAN COUNTER No. 01	One Years	Rs 1,180/-	Rs 10,000/-	24 Hr
BAREILLY CITY SECOND ENTRY GATE COUNTER	One Years	Rs 1,180/-	Rs 10,000/-	24 Hr
KASHIPUR COUNTER No. 01	One Years	Rs 1,180/-	Rs 10,000/-	24 Hr
KASHIPUR COUNTER No. 02	One Years	Rs 1,180/-	Rs 10,000/-	24 Hr
RUDRAPUR CITY COUNTER No. 01	One Years	Rs 1,180/-	Rs 10,000/-	24 Hr
KANNAUJ COUNTER No. 01	One Years	Rs 1,180/-	Rs 10,000/-	24 Hr
KANNAUJ COUNTER No. 02	One Years	Rs 1,180/-	Rs 10,000/-	24 Hr
KASGANJ COUNTER No. 01	One Years	Rs 1,180/-	Rs 10,000/-	24 Hr
Last Date & time to obtain application forms from office	From the office of Divisional Rail Manager, Commercial, Izzatnagar in any working day from the date of Publication till Date 05.02.2025 and time 16.00 hrs.			
Date & time of Dropping applications in application Box	From Date 05.02.2025 to Date 06.02.2025 till time 15.00 hrs.			
Date & time Opening of applications	On Date 06.02.2025 till time 15.30 hrs.			
If the office remains closed on the date of dropping and opening of the application, the application will be dropped and opened on the next working day. Complete Detail of Application Form, Eligibility of Notification, Terms & Conditions can also be seen & downloaded from website www.ner.indianrailways.gov.in or can be obtained From the office of Divisional Rail Manager, Commercial, Izzatnagar in any working day. The Applicants will have to enclose Cost of Application Form Rs 1,180/- (One Thousand one hundred Eighty Rupees) and Cost of Earnest money as listed in above table in the form of Demand Draft issued in favour of F.A. & C.A.O. N.E. Railway by any Nationalized Bank & Payable at Bareilly. Only One applicant can be engaged as STBA at one counter of one Station. Separate application form will be given for each counter of each station for appointment of STBA. Without application form cost & Cost of Earnest money the application will not be considered valid. Applications received by late neither will be accepted nor will be considered. Railway administration has all the rights to cancel or reject any application or whole process of appointment of Station Ticket Booking Agent (STBA) at any stage without giving any reason. This application is not valid for service in railway.				
Divisional Commercial Manager Izzatnagar				

स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस0टी0बी0ए0) के आवेदन पत्र
(यह आवेदन पत्र नौकरी के लिये नहीं है।)

स्वयं का
हस्ताक्षरित
नवीनतम
फोटो

सेवा में ,
मंडल रेल प्रबन्धक (वा0)
पू0उ0रे0 / इज्जतनगर

विषय:- स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस0टी0बी0ए0) हेतु आवेदन ।

1. स्टेशन का नाम जहां के लिये आवेदन किया हैकाउन्टर संख्या.....
(स्टेशन का नाम एवं काउन्टर संख्या स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन फार्म निरस्त माना जायेगा।)
2. आवेदक/आवेदिका का नाम (बड़े स्पष्ट अक्षरों में)
3. पिता/पति का नाम
4. जन्म तिथि (प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
(आवेदक/आवेदिका की आयु अठारह वर्ष से कम मान्य नहीं है।)
5. शैक्षिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
(आवेदक/आवेदिका कम से कम दसवीं कक्षा पास होना चाहिये)
6. आवेदक/आवेदिका का पूर्ण स्थाई पता
आवेदनकर्ता को एस0टी0बी0ए0 स्टेशन से सम्बन्धित स्थानीय जिले का निवासी होना आवश्यक है।
(निवास प्रमाण पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र/तहसीलदार/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. आवेदक/आवेदिका का दूरभाष अथवा मोबाइल नं0
8. आवेदक/आवेदिका को चरित्र के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित पुलिस स्टेशन से इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा कि आवेदक/आवेदिका का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है और कोई भी आपराधिक मामला पंजीकृत/विचाराधीन नहीं है। (हॉ/नहीं)
9. आवेदक/आवेदिका द्वारा निम्न तालिका में भरा जाने वाला कमीशन।

स्टेशन का नाम	रुपये 1,00,000/- (एक लाख रुपया) से अधिक की बिक्री टर्नओवर पर रेलवे द्वारा दिया जाने वाला कमीशन	रुपये 1,00,000/- (एक लाख रुपया) से अधिक की बिक्री टर्नओवर पर आवेदक द्वारा प्रस्तावित कमीशन।
	02 % दो प्रतिशत	% (अंकों में) % (शब्दों में)

(ऋणात्मक (-) में भरा गया कमीशन एवं रिक्त छोड़ा कमीशन मान्य नहीं होगा तथा ऐसे आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा)

10. आवेदन पत्र के शुल्क का विवरण
11. बयाना राशि का विवरण
12. **घोषणा:-** मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण सत्य है व यदि किसी भी रूप में असत्य या गलत पाए जाने पर मेरा आवेदन/आवंटन निरस्त कर दिया जाये। मैं एस0टी0बी0ए0 से सम्बन्धित अधिसूचना में दी गयी सभी नियमों व शर्तों को अच्छी तरह पढ़कर समझ ली/लिया हूँ तथा समय-समय पर जारी किये गये नियमों/शर्तों का पालन करने हेतु बाध्य रहूँगा/रहूँगी।
मैं प्रमाणित करता हूँ कि मुझे किसी अन्य स्टेशन पर एस0टी0बी0ए0/जे0टी0बी0एस0/हाल्ट एजेन्ट के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है तथा मेरे नाम से रेलवे में अन्य कोई ठेका आवंटित नहीं है। यदि आवेदक के नाम रेलवे में कोई अन्य ठेका आवंटित हो तो उसका विवरण निम्न प्रकार दे।
स्टेशन.....कार्य का विवरण.....आवंटन अवधि.....

दिनांक.....

(आवेदक/आवेदिका का नाम एवं हस्ताक्षर)

नाम:-

आवेदक/आवेदिका के बैंक का नाम :

पूरा पता:-

आवेदक/आवेदिका के बैंक खाता सं0 :

पिन कोड:-

बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड :

बैंक पास बुक की हस्ताक्षरित छाया प्रति/कैन्सिल चैक संलग्न करे।

पैन कार्ड की हस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करे।

स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस0टी0बी0ए0) की नियुक्ति हेतु नियम एवं शर्तें

(क) अर्हतायें :-

1. आवेदक/आवेदिका कम से कम 18 वर्ष अथवा इससे अधिक का होना चाहिये। (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
2. आवेदक/आवेदिका कम से कम दसवीं कक्षा पास होना चाहिये। (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3. आवेदक/आवेदिका द्वारा जिस स्टेशन के लिये आवेदन किया जा रहा है उसे उसी स्थानीय जिले का निवासी होना चाहिये। निवास प्रमाण पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र या निवास प्रमाण पत्र तहसीलदार/जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा जारी हो संलग्न करें।
4. आवेदक/आवेदिका को चरित्र के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र के सम्बन्धित पुलिस स्टेशन से इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा कि आवेदक/आवेदिका का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है और कोई भी आपराधिक मामला पंजीकृत/विचाराधीन नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन खुलने की तिथि से 06 माह के अन्दर अथवा वैद्य होना चाहिये। (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
5. आवेदक/आवेदिका को आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ स्वसत्यापित कर चस्पा करनी होगी।
6. आवेदक/आवेदिका को आवेदन पत्र का मूल्य एवं बयाना राशि आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। आवेदन पत्र के मूल्य के बिना एवं बयाना राशि के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन के साथ आवेदन शुल्क एवं बयाना राशि मूल्य का डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में संलग्न न होने पर आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। असफल आवेदनकर्ता की बयाना राशि पर हुए बिलम्ब के लिये रेलवे प्रशासन उत्तरदायी नहीं होगा और न ही कोई ब्याज देय होगा।
7. आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन के साथ मांगे गये अभिलेख को पूर्ण न करने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. अभिलेख सत्यापित करने वाले अधिकारी/निरीक्षक के द्वारा अभिलेख सत्यापन किये जाने हेतु बलाये जाने पर यदि आवेदनकर्ता द्वारा अपने आवेदन के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों की मूलप्रति के साथ 15 दिनों के अन्दर अभिलेख सत्यापित करने वाले अधिकारी/निरीक्षक के समक्ष उपस्थित न होने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा
9. विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों को न तो स्वीकार किया जायेगा न ही उन पर विचार किया जायेगा। इस अधिसूचना को www.ner.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है व अधिसूचना, आवेदन प्रपत्र को डाउनलोड किये जा सकते हैं।
10. यह आवेदन पत्र नौकरी के लिये नहीं है और नही किसी आवेदक/आवेदिका को भविष्य में इस पर अपील करने का अधिकार होगा।
11. एसटीबीए और उसका नामित एजेन्ट पूर्व रेलवे कर्मचारी नही होने चाहिए, जिसे संदिग्ध सत्यनिष्ठा के आधार पर सेवा से हटाया या बर्खास्त किया गया हो।
12. समस्त आवेदन पत्र निर्धारित समय एवं तिथि में निर्धारित आवेदन पत्र पेटिका में ही डाले जायेंगे या स्वीकार्य होंगे। अन्य किसी माध्यम/डाक से प्राप्त आवेदनो पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 13(i) एस0टी0बी0ए0 की नियुक्ति/चयन की प्रक्रिया रेलवे बोर्ड नई दिल्ली द्वारा Commercial Circular No. 04 of 2022 के अर्न्तगत पत्रांक 2018/TG-I/20/P/STBA, Dated 22.02.2022 व पत्रांक संख्या 2018/TG-I/20/P/STBA, Dated 16.10.2023, 14.08.2024 एवं समय-समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नीति के समस्त नियम सहित लागू होगी।
- 13(ii) रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्रांक 2018/TG-I/20/P/STBA, Dated 14.08.2024 के अनुसार वर्तमान में Pilot Scheme दिनांक 21.02.2025 तक वैद्य है। यदि रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 21.02.2025 के बाद Pilot Scheme को बढ़ाये जाने सम्बन्धित कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं या रेलवे बोर्ड द्वारा इस Scheme को समाप्त/निरस्त कर दिया जाता है, तो निकाली जाने वाली अधिसूचना स्वतः ही निरस्त हो जायेगी और इस पर किसी भी आवेदक/आवेदिकों को दावा/अपील करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(ख) स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस0टी0बी0ए0) का चयन :-

1. पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले आवेदकों में से, जो आवेदक न्यूनतम कमीशन (02 प्रतिशत के कमीशन स्लैव पर) का विकल्प देता है, का स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट के रूप में चयन किया जायेगा।
2. प्रत्येक स्टेशन के प्रत्येक काउन्टर पर प्रस्तावित एक एस0टी0बी0ए0 के लिये यदि एक से अधिक आये आवेदक, समान दर (कमीशन) का विकल्प देते हैं, तो ऐसे मामले में एस0टी0बी0ए0 की नियुक्ति/चयन लाटरी ड्रा (Draw of Lots) के माध्यम से सार्वजनिक रूप से पारदर्शिता अपनाते हुए नियमित प्रक्रिया के अर्न्तगत किया जायेगा।

(ग) स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस0टी0बी0ए0) को देय कमीशन :-

1. सफल स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस0टी0बी0ए0) को कमीशन का भुगतान प्रति माह (Commission) निम्नानुसार किया जायेगा। कमीशन का परिकलन मासिक बिक्री के आधार पर किया जायेगा।

स्लैब (Slab)	माहवार बिक्री टर्नओवर रूपों में (Sales Turnover in Rs.)	माहवार बिक्री टर्नओवर पर देय कमीशन का प्रतिशत (Rate at which Commission Payable)
स्लैब (Slab) 1	1-20000	25% (न्यूनतम रू0 2500/-)
स्लैब (Slab) 2	20001-100000	15%
स्लैब (Slab) 3	>100000	02 प्रतिशत अथवा उद्धत दर जो भी कम हो (02% or the rate quoted whichever is lower)

रियायती टिकटों के मामले में कमीशन की गणना रेलवे द्वारा एकत्र किये गये वास्तविक किराये पर की जायेगी।

प्रतिभूति राशि एवं बैंक गारन्टी :-

सफल आवेदक को ब्याज मुक्त रिफंडेबुल प्रतिभूति धन राशि NSG -4 स्टेशन हेतु रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) को नकद रसीद के अन्तर्गत अथवा एफ0डी0आर0 (FDR) के रूप में, जो राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी हो, वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/पूर्वोत्तर रेलवे के पक्ष में जारी हो व बरेली में देय हो, अनुबन्ध से पूर्व जमा करनी होगी। स्टेशनों पर टिकटों की बिक्री को ध्यान में रखते हुये, रेलवे द्वारा प्रतिभूति धन राशि बढ़ाई जा सकती है। एस0टी0बी0ए0 अनुबन्ध की अवधि पूरा होने/समाप्त होने पर यदि कोई बकाया देय हो तो उसकी कटौती जमा की गई जमानत राशि से काट कर शेष राशि स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस0टी0बी0ए0) को वापस कर दी जायेगी।

स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस0टी0बी0ए0) की प्रक्रिया एवं विशेषतायें :-

1. हार्ड वेयर तथा साफ्टवेयर (रखरखाव सहित), बिजली तथा चैनलों के किराये पर होने वाली लागत रेलवे द्वारा वहन की जायेगी। रेलवे द्वारा कार्य करने हेतु स्थान भी बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराया जायेगा।
2. स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस0टी0बी0ए0) इस अनुबन्ध को सबलेट नहीं करेगा और इस अनुबन्ध के तहत प्राप्त अधिकारों अथवा दायित्वों को हस्तांतरित नहीं करेगा। स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस0टी0बी0ए0) की मृत्यु हो जाने पर अनुबन्ध की बची हुई अवधि के लिये उसके कानूनी उत्तराधिकारी को स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस0टी0बी0ए0) के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार अनुमति प्रदान की जायेगी।
3. स्टेशन पर टिकटों की बिक्री की मात्रा के आधार पर नामित किये जा सकने वाले व्यक्तियों की अतिरिक्त संख्या सभी अर्हतायें पूर्ण करने के साथ वमवाप्र/मंवाप्र द्वारा तय की जायेगी। एस0टी0बी0ए0 तथा उनके द्वारा नामित अतिरिक्त व्यक्ति को मंडल कार्यालय द्वारा फोटो पहचान पत्र जारी किये जायेंगे तथा एस0टी0बी0ए0 एवं नामित व्यक्तियों का नाम स्टेशन क्षेत्र के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा।
4. स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस0टी0बी0ए0) टिकटों की बिक्री से प्राप्त राशि को उस स्टेशन पर लागू 08 घंटों की शिफ्ट डियूटी के आधार पर जैसा कि भारतीय रेल में प्रचलित 08 घण्टे की कार्य अवधि के अनुरूप 06 बजे, 14 बजे एवं 22 बजे कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर/वाणिज्य पर्यवेक्षक के पास जमा करना होगा। प्रत्येक स्टेशन पर चयनित/नियुक्त स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस0टी0बी0ए0) को अधिसूचना में सम्बन्धित स्टेशन के सामने दर्शायी गई घंटों की शिफ्ट डियूटी के आधार कार्य करना होगा।
5. स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस0टी0बी0ए0) द्वारा अनारक्षित टिकटों का संवितरण स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये रेलवे प्रशासन द्वारा विनिश्चित समय अनुसूची द्वारा संचालित होगा।
6. यदि स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस0टी0बी0ए0) की अनुपस्थिति/अनुपलब्धता के कारण या उसकी लापरवाही के कारण टिकटिंग गतिविधि रुक जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उपकरण काम नहीं कर रहा है तो उस लोकेशन पर यू0टी0एस0 टिकटों की बिक्री के प्रतिदिन औसत के बराबर अर्थदण्ड, न्यूनतम रूपये 2,000/- प्रति दिन की दर से अर्थ दण्ड लगाया जायेगा। सार्वजनिक जन परिवाद/शिकायतों के विरुद्ध रूपये 500/- तक अर्थ दण्ड लगाया जा सकता है। अर्थदण्ड लगाये जाने हेतु वमवाप्र/मंवाप्र सक्षम अधिकारी होंगे।
7. आवेदक को सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति बाद में जब भी रेल प्रशासन चाहेगा जांच के लिये प्रस्तुत करनी होगी।
8. स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस0टी0बी0ए0) को प्लेट फार्म टिकट तथा सीजन टिकट सहित यू0टी0एस को माध्यम से जारी होने वाले सभी प्रकार की गैर रियायती अनारक्षित टिकटों को केवल नकद आधार पर बेचने की अनुमति होगी। उन्हें सीजन टिकटों का नवीनीकरण करने एवं वरिष्ठ नागरिक रियायती टिकटों को जारी करने की भी अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस0टी0बी0ए0) द्वारा अन्य प्रकार के रियायती टिकटों जिनमें दस्तावेजी साक्ष्य आपेक्षित होता है, स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर /वाणिज्य पर्यवेक्षक की पुष्टि एवं अनुमति के पश्चात जारी किया जा सकेगा।

9. स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस0टी0बी0ए0) को नान इश्यूड टिकट जारी करने की सुविधा तभी उपलब्ध होगी जब वह सम्बन्धित स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर/वाणिज्य पर्यवेक्षक के द्वारा अधिकृत/समर्थित हो।
10. स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस0टी0बी0ए0) को टिकट रद्द करने की सुविधा तभी उपलब्ध होगी जब यह पहले स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर/वाणिज्य पर्यवेक्षक द्वारा अधिकृत/समर्थित हो।
11. स्टेशन के प्रभारी (स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर/वाणिज्य पर्यवेक्षक) की टिकट रोल को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होगी, और स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस0टी0बी0ए0) को प्रतिदिन टिकट रोल सौंपने/उसे वापस लेने की भी उनकी ड्यूटी होगी। स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस0टी0बी0ए0) को जारी किये गये टिकट रोल का समुचित रिकार्ड रखा जायेगा।
12. स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस0टी0बी0ए0) के द्वारा किये गये लेन देन से सम्बन्धित शिफ्ट ब्यौरे एवं दैनिक ब्यौरा यू0टी0एस0 से लिये जायेंगे एवं एस0टी0बी0ए0 शिफ्ट के अन्त में स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर/वाणिज्य पर्यवेक्षक के पास तदनुसार नकद राशि जमा करेंगे।
13. समय-समय पर रेल प्रशासन द्वारा दिशानिर्देश जारी किये जायेंगे जो एस0टी0बी0ए0 को मान्य होगा। वाणिज्य एवं लेखा कर्मचारियों द्वारा एस0टी0बी0ए0 की कार्यप्रणाली की जांच, यू0टी0एस0 टिकट एवं इसके स्टेशनरी के एकाउन्टल की नियमित और औचक जांच की जायेगी।
14. चयन किये जाने के बाद यदि सफल स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस0टी0बी0ए0) टिकट काउन्टर को परिचालित करने में असमर्थता व्यक्त करता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी बैंक गारन्टी के साथ- साथ प्रतिभूति जमा राशि को जब्त कर ली जायेगी और प्रक्रिया के अनुसार इसे रेल लेखे में जमा कर लिया जायेगा।
15. स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा जारी टिकट रोल एवं स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस0टी0बी0ए0) द्वारा बिक्री किये गये टिकटों का संयुक्त विवरण मंडल वाणिज्य प्रबन्धक/वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबन्धक को प्रत्येक माह भेजना होगा।
16. आवेदकों में से स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस0टी0बी0ए0) के रूप में प्राधिकृत करने का निर्णय रेल प्रशासन का अन्तिम होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों को बिना कोई कारण बताये निरस्त/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है। असफल आवेदनकर्ताओं द्वारा इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार रेल प्रशासन द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
17. अस्पष्ट/ओवर राईट/अपूर्ण भरा हुआ आवेदन फार्म पर विचार नहीं किया जायेगा।

(च) नियुक्ति की अवधि :- एक वर्ष।

यू0टी0एस0 प्रणाली में होने वाले परिवर्तन नियुक्ति की आवधि में समान रूप से लागू होंगे।

(छ) करार समाप्त करना (Termination):-

प्रत्येक पक्ष 30 दिनों का नोटिस देकर बिना कारण बताये समझौते (अनुबन्ध) को समाप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में नियुक्ति/चयनित एसटीबीए द्वारा जमा की गई जमानत राशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी। धोखाधड़ी/आपराधिक मामले में रेलवे बिना किसी पूर्व सूचना के जमा की गई जमानत राशि को जब्त करते हुए अनुबन्ध को समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होगा।

(ज) असमर्थकारी शर्त (Disabling clause)

स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस0टी0बी0ए0) के रूप में नियुक्ति हो जाने से किसी व्यक्ति को रेलवे में रोजगार प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा और न ही वह ऐसा कोई दावा प्रस्तुत करेगा। स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट अथवा उसके कानूनी उत्तराधिकारी को, कोई लाभ जैसे रेल सेवा में समाहन (समायोजन),सेवा का नियमितिकरण,बोनस,रेलवे पास आदि की सुविधा नहीं मिलेगी। इस सम्बन्ध में किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा। स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट वर्तमान अथवा भविष्य की किसी भी प्रकार की दायिता से रेल को मुक्त रखेगा।

(झ) मध्यस्थता (Arbitration)

स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एस0टी0बी0ए0) और रेल प्रशासन के बीच किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति में अनुबन्ध के मध्यस्थता की धारा के अर्न्तगत निस्तारण किया जायेगा।